24.11.20	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित हैं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, वर्णित तथ्य, वांछित अनुतोष, अप्रार्थीगण के जवाब, मौका रिपोर्ट

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एवं पत्रावली द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का सम्यक अवलोकन किया।	

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का कथन है, कि वाकात भूमि प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की भूमि है। अप्रार्थीगण जबरन नया रास्ता बनाकर प्रार्थीगण की भूमि में से निकलने का प्रयास कर रहे थे। रास्ता नहीं है, फिर भी निकल रहे हैं। पंचायत में 251 की एप्लीकेशन नहीं दी है। सरपंच ने मौका देखकर मन माफिक निर्णय किया होगा। पंचायत को विधिवत 45 दिन में निर्णय करना होता है यदि रास्ता बनता है और खातेदार नहीं निकलने दे तब प्रकरण बनता है। ग्राम पंचायत नया रास्ता तय नहीं कर सकती है। निकटतम इसी देखी जानी रिपोर्ट का अवलोकन करें। बिना सहमति के रास्ता बना रहे हैं। इन्हें 251 A. R.T. Act में आना चाहिये। मेरे पक्ष में तीनों ग्राउण्ड हैं। अतः T.I. ग्रान्ट की जावे।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण का कथन है, कि हमेशा से ख.नं. 118 व 121 की मध्य मेड़ से अपनी भूमि पर आ जा रहे हैं। कुली व नई दोनों रिपोर्ट से स्पष्ट है। रास्ता कम जाता है, तो हम खेत पर जा ही नहीं पायेंगे, इससे हमें नुकसान होगा। इनको अर्थात प्रार्थीगण को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इनका प्रथम द्रष्टया प्रकरण भी नहीं है। अतः T.I. खारिज की जावे।

रिपीट में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण का पुनः कथन है, कि प्रार्थीगण का प्रथम द्रष्टया प्रकरण

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

(लगातार)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जा...
	है, तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में इस कारण T.I. दी जाना उचित है। बाद बहस पत्रावली का आद्योपान्त गहन मनन अवलोकन किया। प्रार्थीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 188 R.T.Act प्रस्तुत कर उसके साथ धारा 212 R.T.Act में विरुद्ध अप्रार्थीगण अ0 पत्र पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि ख0 नं0 118/317 व 121 में से जबरदस्ती रास्ता निकालने पर आमादा है। मौके पर रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है, अतः प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों ग्राउण्ड भी अस्थाई व्यादेश जारी किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा अपने कथनों के समर्थन में ग्राम किशोरपुरा की नकल जमाबंदी 2071-74 खाता नम्बर 123, 36, छायाप्रति नकल नक्शा ग्राम किशोरपुरा, छायाप्रति आंशिक नकल खसरा गिरदावरी, 2071-74 ग्राम किशोरपुरा, नकल नक्शा किशोरपुरा 1954, व फर्द मिलान। जवाब में अप्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत – सहादवड़ा की मौका रिपोर्ट दि0 22.11.17, पेश की। हल्का नकल जमाबंदी ख0 नं. 118/317 व 121 प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज है। इस प्रकार उक्त भूमि अप्रार्थीगण के नाम पर दर्ज नहीं है। रिपोर्ट ग्राम पंचायत सहादवड़ा 22.11.17 तथा G.L.R उजवा दि0 13.10.20 के अनुसार ख0 नं. 118 एवं 121 की मेड़ पर रास्ते का उपयोग ख0 नं0 122 के खातेदार करते चले आ रहे हैं। इस प्रकार उक्त भूमि पर रास्ते के संबंध के अभिलिखित रिकार्ड में उक्त भूमि प्रार्थीगण के पक्ष	

उपखण्ड अधिकारी

(लगातार)

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में रिकार्ड तक प्रथम दृष्टया प्रकाश प्रतीत होता है।	
	फलतः उक्त दोनों खसरा नम्बरान पर कब्जे को लेकर विवाद नहीं है। परन्तु दोनों खसरा नम्बर के मध्य मेड़ पर से रास्ता है, इस पर विवाद है। दोनों मौका रिपोर्ट के अवलोकन से ऐसा जाहिर होता है, कि अप्रार्थीगण के पास खसरा नम्बर 122 तक जाने का अन्य मार्ग उपलब्ध नहीं है। खसरा नम्बर 118 व 121 के मध्य से ही रास्ता है। यदि जरिये आदेश अप्रार्थीगण को अपनी भूमि पर जाने-आने के एक मात्र रास्ते से वंचित कर दिया जाता है, तो इससे अप्रार्थीगण को ही असुविधा होगी। प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन नहीं है।	
	प्रार्थीगण हाल खसरा नम्बर 118/317 व 121 के मध्य के स्थित रास्ते से नहीं निकलने देकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई आदेश पाबंद करवाना चाहते हैं। यदि ऐसा होता है, तो अप्रार्थीगण का अपनी भूमि पर आने-जाने का रास्ता बंद हो जावेगा, और अप्रार्थीगण अपनी भूमि पर काश्त व्यवस्था नहीं कर पायेंगे। इस कारण भूमि पर काश्त के अभाव में भूमि पड़त रहने की संभावना हो जावेगी। इस प्रकार प्रार्थीगण को तो कोई नुकसान नहीं होगा मगर अप्रार्थीगण को ऐसी क्षति संभाव्य है, जिसका मुद्रा के रूप में आंकलन भी संभव नहीं है।	
	उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	क्रमशः...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जा...

अपीलित स्थिति प्रार्थीगण के विपरीत — अप्रार्थीगण के पक्ष में है।

प्रार्थीगण को या अप्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि पर क्या स्वत्व प्राप्त है, इसका विनिश्चय मूलवाद में सम्यक् साक्ष्य तथा समुचित परीक्षणोपरान्त विधि अनुसार मौके पर होना है, न कि प्रा० पत्र या जवाब प्रा० पत्र के आधार पर।

प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किया गया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र R.T. Act. 1955 की धारा 212 की शर्तत्रय पर खरा नहीं उतरता है।

अतः गुणावगुण के आधार पर प्रा० पत्र प्रार्थीगण खारिज किया जाता है।

पत्रावली की निर्णित में गणना की जाकर मूलवाद मि० नं० 270/2017 के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(देशल दान)
I.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी